


266



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी I/आगरा नौ/छतरपुर/2017/2740

श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री अवध नारायण सकसैना पुत्री स्व. श्री प्रकाश सकसैना निवासी मकान नं. 440 वार्ड नं. 40 चेतागिर कॉलोनी, छतरपुर म.प्र.

दिनांक 21-8-17 को

प्रति श्री श्रीवास्तव

श्रीमती शकुन्तला

21-8-17
50

..... आवेदिका

विरुद्ध

1. श्रीमती शानो पत्नी प्रवीण कुमार सोनी पुत्री रवि कुमार सोनी निवासी नौगांव जिला छतरपुर म.प्र.
2. मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.6.16 जिसे प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/15-16 में राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर तहसील छतरपुर म.प्र. ने पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदिका क्रमांक 1 श्रीमती शानो पत्नी प्रवीण कुमार सोनी पुत्री रवि कुमार सोनी निवासी नौगांव जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा एक आवेदन-पत्र वास्ते ग्राम नारायणपुरा की भूमि सर्वे नं. 266/2 रकवा 0.681 है. के सीमांकन बाबत् यह लिखते हुए पेश किया कि उक्त भूमि की सीमाओं का ज्ञान नहीं है तथा उक्त भूमि उसके नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है वह अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाहती है आवेदन के साथ में सीमांकन शुल्क का चालान, नक्शा ट्रेज एवं खसरा नकल संलग्न की गई।

2. यहकि, प्रकरण में वाद भूमि के सीमांकन संबंधी सूचना हलका पटवारी द्वारा सरहदी कास्तकारों को जारी किया गया दिनांक

श्रीमती शकुन्तला



3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2740

शकुन्तला विरूद्ध शानो व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 48/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>18/2/2019</p>